01/06/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. वादकारी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया किया जाती है। नंबर ठे दर्ज हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/428

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल

ालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 248/2023 GCMS2023/428 दायर दिनांकः–18–09–2023

अरविन्द देवी पत्नी श्री देव किशन जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड न0 2 आर सी पी कॉलोनी श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला अनुपगढ राज0

-----वादीया

बनाम

1– औकार सिंह पुत्र श्री मदनसिंह } अकवाम राजपूत साकिनान 9 एम सी तहसील
2– गोविन्दसिंह पुत्र श्री चतरसिंह } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
3–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

----- प्रतिवादीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 , 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1– श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थी
2– पेरोकार राज अप्रार्थी न0 3

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 01.06.2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादीया एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया के नाम से भूमि वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ के खाता स0 9/8 के प0 न0 178/7 मु0 न0 31 के किला न0 10 ता 12/0.759 है0 , 16–17/ 0.506 है0 , 19 ता 25/1.771 है0 कुल 3.036 है0 कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । वादीया जैरवाद भूमि पर शातिपूर्वक काश्त करती आ रही है । वादीया एक शांन्तिप्रिय एवं वृद्ध औरत है । वादीया जैरवाद भूमि का फसली फायदा उठाने की हकदार है व वादीया के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति एवं संस्था को इस रकबा में घुसने का कोई हक नही है व ना ही फसली फायदा उठाने का कोई हक है । इसलिए वादीया अपनी खातेदारी भूमि पर अतिक्रमी को बेदखल करवाने की कानूनी हकदार है । वादीया के नाम वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 9/8 की कुल 3.036 है0 कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि के किला न0 10 में 0.126 है0 एव किला न0 12 में 0.127 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है । इस अतिक्रमण शुद्वा रकबा पर प्रतिवादी न0 1 व 2 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे है व वादीया को उसके हको से वंचित कर रखा है । प्रतिवादी न0 1 व 2 राजनैतिक प्रभाव के व्यक्तियों से सम्पर्क रखते है व बहुत चालाक किस्म के व्यक्ति है प्रतिवादी न0 1 व 2 नाजायज कब्जा कर अपना मकसद पूर्ण कर वादीया को नुकसान व परेशान करने का है। जबकि प्रतिवादी न0 1 व 2 के पास कोई कानून अधिकार उक्त जेरवाद रकबा पर नही होने मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर नाजायज फायदा उठा रहे है। इस,लिए वादीया बेदखल करवाने के कानून हकदार है। प्रतिवादी न0 1 व 2 ने वादीया की खातेदार जैरवाद रकबा 0.253 है0 कमाण्ड पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिसका वादीया जरिये वाद–पत्र प्रस्तुत कर खातेदार भूमि 0.253 है0 कमाण्ड की फसल कमाई का नुकसान हुआ है उक्त जैरवाद रकबा का ठेका 15,000/–रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से फसली फायदा अपने हको की सुरक्षा बाबत वादीया पाने के अधिकारी है । इसलिए वादीया के खातेदार रकबा पर जब तक प्रतिवादी न0 1 व 2 काबिज रहते है या जब तक वादीया को उक्त रकबा पर कब्जा नही मिल जाता तब तक वादीया यह राशि प्राप्त करने के हकदार है तथा उक्त राशि जमा नही करवाने पर कब्जा बहक तहसीलदार प्राप्त कर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

उक्त जैरवाद रकबा की व्यवस्था रिसिवर से करवाने के वादीया कानूनी हकदार है । प्रतिवादी न0 1 व 2 ने अतिक्रमी की हैसियत से वादीया के नाम खातेदार रकबा पर काबिज है इस रकबा पर से प्रतिवादी न0 1 व 2 को बेदखल किया जाकर वादीया उक्त रकबा का कब्जा प्राप्त करने के हकदार है । इसलिए उक्त रकबा पर से प्रतिवादी न0 1 व 2 को जरिये पुलिस बेदखल किया जाकर रकबा का कब्जा वादीया को दिलाये जाने का निवेदन किया ।

वाद–पत्र प्राप्त होने पर उक्त प्रकरण 183 , 209 में दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया । अप्रार्थी न0 1 व 2 रजिस्टर्ड समन तलबी सुचना हाजिर नही आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई ।

इसके पश्चात वाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई। जिसके पश्चात साक्ष्य वादीया करवाये गये। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1– आया कि वादीया के नाम से भूमि वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 9/8 के प0 न0 178/7 मु0 न0 31 के किला न0 10 ता 12/0.759 है0 , 16–17/0.506 है0 , 19 ता 25/1.771 है0 कुल 3.036 हे0 कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है ?

——— वादीया

2– आया कि वादीया के नाम वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 9/8 की कुल 3.036 हे0 कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि के किला न0 10 में 0.126 है0 एव किला न0 12 में 0.127 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है । प्रतिवादी न0 1 व 2 अतिक्रमी होने के कारण वादीया प्रतिवादी न0 1 व 2 से खातेदारी भूमि से बेदखल करवाने की कानूनन हकदार है ?

——— वादीया

3– आया कि प्रतिवादी न0 1 व 2 ने वादीया की खातेदार जैरवाद रकबा 0.253 हे0 कमाण्ड पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । उक्त जैरवाद रकबा का ठेका 15,000/–रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से फसली फायदा अपने हको की सुरक्षा बाबत वादीया पाने के अधिकारी है ?

——— वादीया

4– अन्य अनुतोष ?

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये साक्ष्य में वादीया द्वारा स्वयं का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया किये गये ।

इसके पश्चात साक्ष्य तनकीवार तर्क पक्षकारान सुना गया। विद्धान अभिभाषक वादीया ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रमाणित दस्तावैजो की तरफ ध्यान आकर्षित करवाते हुए निवेदन किया कि वादीया के नाम से भूमि वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ के खाता स0 9/8 के प0 न0 178/7 मु0 न0 31 के किला न0 10 ता 12/0.759 है0 , 16–17/ 0.506 है0 , 19 ता 25/1.771 है0 कुल 3.036 है0 कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । वादीया जैरवाद भूमि पर शातिपूर्वक काश्त करती आ रही है । वादीया एक शांन्तिप्रिय एवं वृद्ध औरत है । वादीया जैरवाद भूमि का फसली फायदा उठाने की हकदार है व वादीया के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति एवं संस्था को इस रकबा में घुसने का कोई हक नही है व ना ही फसली फायदा उठाने का कोई हक है। वादीया के नाम वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 9/8 की कुल 3.036 है0 कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि के किला न0 10 में 0.126 है0 एव किला न0 12 में 0.127 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है । इस अतिक्रमण शुद्वा रकबा पर प्रतिवादी न0 1 व 2 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे है व वादीया को उसके हको से वंचित कर रखा है । प्रतिवादी न0 1 व 2 नाजायज कब्जा कर अपना मकसद पूर्ण कर वादीया को नुकसान व परेशान करने का है। जबकि प्रतिवादी न0 1 व 2 के पास कोई कानून अधिकार उक्त जेरवाद रकबा पर नही होने मात्र अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर नाजायज फायदा उठा रहे है। इसलिए वादीया बेदखल करवाने के कानून हकदार है। प्रतिवादी न0 1 व 2 ने

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

वादीया की खातेदार जैरवाद रकबा 0.253 है0 कमाण्ड पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जिसका वादीया जरिये वाद–पत्र प्रस्तुत कर खातेदार भुमि 0.253 है0 कमाण्ड की फसल कमाई का नुकसान हुआ है उक्त जैरवाद रकबा का ठेका 15,000/–रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से फसली फायदा अपने हको की सुरक्षा बाबत वादीया पाने की अधिकारी है । इसलिए वादीया के खातेदार रकबा पर जब तक प्रतिवादी न0 1 व 2 काबिज रहते है या जब तक वादीया को उक्त रकबा पर कब्जा नही मिल जाता तब तक वादीया यह राशि प्राप्त करने के हकदार है । प्रतिवादी न0 1 व 2 ने अतिक्रमी की हैसियत से वादीया के नाम खातेदार रकबा पर काबिज है । 0.253 है0 रकबा पर प्रतिवादी न0 1 व 2 को बेदखल किया जाकर वादीया को प्रतिवादी न0 1 व 2 को जरिये पुलिस बेदखल किया जाकर रकबा का कब्जा वादीया को दिलाये जाने का निवेदन किया।

पेरोकार राज के द्वारा बहस में निवेदन करते हुये बताया कि वादीया उक्त जैरवाद रकबा की खातेदार कास्तकार है । जिस पर प्रतिवादी न0 1 व 2 के द्वारा जबरन कब्जा करने के कारण वादिया कोा उसके अधिकारो से वंचित किया गया है । इसलिए वादीया को खातेदार रकबा का कब्जा दिलवाया जाना सही है ।

दोनो पक्षो की तरफ से दौराने बहस प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का मनन किया गया। विस्तृत विवेचना एव विश्लेषण तनकीवार निम्न प्रकार से है :–

तनकी न0 1– आया कि वादीया के नाम से भूमि वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 9/8 के प0 न0 178/7 मु0 न0 31 के किला न0 10 ता 12/0.759 है0 , 16–17/0.506 है0 , 19 ता 25/1.771 है0 कुल 3.036 हे0 कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया ने वाद पत्र के साथ प्रमाणित जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 वाके 9 एम सी खाता सं0 9/8 में 3.036है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड खातेदारी भूमि की प्रस्तुत की गई । वादीया द्वारा शपथ–पत्र के द्वारा प्रर्दशित करवाया गया है। जिसका खण्डन प्रतिवादीगण के द्वारा नही किया गया ना ही कोई विपरित दस्तावैज प्रस्तुत किये गये। जिससे यह सिद्ध होता है । तनकी न0 1 बहक वादीया निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 2– आया कि वादीया के नाम वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ के खाता सं0 9/8 की कुल 3.036 हे0 कमाण्ड / अनकमाण्ड खातेदारी भूमि के किला न0 10 में 0.126 है0 एव किला न0 12 में 0.127 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है । प्रतिवादी न0 1 व 2 अतिक्रमी होने के कारण वादीया प्रतिवादी न0 1 व 2 से खातेदारी भूमि से बेदखल करवाने की कानूनन हकदार है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया ने अपनी खातेदारी भूमि की जमाबन्दी प्रस्तुत कि गई जिससे वादीया खातेदार कास्तकार सिद्ध होती है । तथा वादीया के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13–06–2023 दैनिक डायरी की सत्यप्रतिलिपी पेश की गई जो प्रर्दशित करवाई गई है । तथा चित्र प्रति प्रार्थना–पत्र सलग्न है । इन तमाम दस्तावैज के आधार पर तथा प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त वाद–पत्र के खण्डन में कोई भी दस्तावैज पेश नही होने पर वादीया की खातेदारी भूमि के प0न0 178/7 के किला न0 10 में 0.126 है0 तथा किला न0 12 में 0.127 है0 कुल 0.253 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा किये गये कब्जा के कारण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । जिस पर वादीया की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी स0 1 व 2 को बेदखल करवाने की हकदार है। शपथ–पत्र तथा अन्य दस्तावैजो के द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को सिद्ध किया है तनकी न0 2 बहक वादीया निर्णित की जाती है ।

तनकी न0 3– आया कि प्रतिवादी न0 1 व 2 ने वादीया की खातेदार जैरवाद रकबा 0.253 हे0 कमाण्ड पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । उक्त जैरवाद रकबा का ठेका 15,000/–रूपये प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से फसली फायदा अपने हको की सुरक्षा बाबत वादीया पाने के अधिकारी है ?

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया पर था। वादीया के द्वारा तनकी न0 1 व 2 में अपने जैरवांद रकबा को पूर्णरूप से सिद्ध किया है जिसके मुताबिक वादीया जैरवाद रकबा की खातेदार कास्तकार है । जिस पर प्रतिवादी स0 1 व 2 के द्वारा 0.253 है0 भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । तथा वादीया को अपनी खातेदारी भूमि पर फसल उठाने से वंचित किये जाने के कारण वहा कि ठेका राशि की प्रचलिंत दर 15,000/-रूपये प्रति बिघा प्रति वर्ष के हिसाब से राशि पाने की हकदार है । तनकी न0 3 बहक वादीया निर्णित की जाती है ।

तनकीवार उपरोक्त विवेचना अनुसार तनकीयात सं0 1 ता 3 बहक वादीया निर्णित हो चुकी है । वादीया की खातेदारी भूमि वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सं0 9/8 प0न0 178/7 के किला न0 10 में 0.126 है0 तथा किला न0 12 में 0.127 है0 कुल 0.253 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा किये गये कब्जा के कारण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । जिस पर वादीया की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी स0 1 व 2 को बेदखल करवाने के हकदार है। तथा वाद से लेकर आज तक वादीया की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा जबरन कब्जा करने के कारण वादीया प्रतिवादी स0 1 व 2 से 15,000/-रूपये प्रति वर्ष राशि प्राप्त करने की अधिकारी है । जिस पर किसी पक्ष की कोई भी आपत्ति नही आई है । अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वादीया काश्तकार अरविन्द देवी पत्नी श्री देवकिशन की खातेदारी भूमि वाके चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सं0 9/8 प0न0 178/7 के किला न0 10 में 0.126 है0 तथा किला न0 12 में 0.127 है0 कुल 0.253 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा जैरवाद भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है । प्रतिवादी स0 1 व 2 को अतिक्रमी घोषित कर 15 दिवस में वादीया की भूमि अतिक्रमण मुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि वादीया की खातेदारी भूमि चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सं0 9/8 प0न0 178/7 के किला न0 10 में 0.126 है0 तथा किला न0 12 में 0.127 है0 कुल 0.253 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा अतिक्रमित भूमि का कब्जा तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 से 2 वर्षो की ठेका राशि 30,000/-रूपये अखरे तीस हजार रूपये वसूल कर वादीया को दिलवाई जावे एवं पालना रिपोर्ट पेश करे । इस हेतु यदि पुलिस सहायता की आवश्यकता हो तो संबधित थानाधिकारी से प्राप्त करे । तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को तहरीर जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.06.26 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (पज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

अनवान :

अरविन्द देवी पत्नी श्री देव किशन जाति ब्राहम्ण साकिन वार्ड न0 2 आर सी पी कॉलोनी श्री विजयनगर तहसील श्री विजयनगर जिला अनुपगढ राज0

–––––वादीया

बनाम

1– औकार सिंह पुत्र श्री मदनसिंह } अकवाम राजपूत साकिनान 9 एम सी तहसील
2– गोविन्दसिंह पुत्र श्री चतरसिंह } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
3–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

––––– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 248 वर्ष 2023 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री राजवीर भादू, प्रतिवादी सं0 1 व 2 बावजूद सुचना उपस्थित नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है । वाद वादी निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सं0 9/8 प0न0 178/7 के किला न0 10 में 0.126 है0 तथा किला न0 12 में 0.127 है0 कुल 0.253 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा जैरवाद भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है । प्रतिवादी स0 1 व 2 को अतिक्रमी घोषित कर 15 दिवस में वादीया की भूमि अतिक्रमण मुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि वादीया की खातेदारी भूमि चक 9 एम सी तहसील सूरतगढ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता सं0 9/8 प0न0 178/7 के किला न0 10 में 0.126 है0 तथा किला न0 12 में 0.127 है0 कुल 0.253 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा अतिक्रमित भूमि का कंब्जा तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 से 2 वर्षो की ठेका राशि 30,000/–रूपये अखरे तीस हजार रूपये वसूल कर वादीया को दिलवाई जावे एवं पालना रिपोर्ट पेश करे । इस हेतु यदि पुलिस सहायता की आवश्यकता हो तो संबधित थानाधिकारी से प्राप्त करे ।

नोज .....×.....मुबलिग .....×.....बाबत .....×.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×.....फसदो की पालना.....×.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।.

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 01.06.26 को जारी की गई।

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)